राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3805/2025

शिव सिंह

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 12.08.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री राजकुमार गोयल, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री मनीष सिंह तोमर, अति. राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :–चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 02.02.1992 को मस्टर रोल के पद पर दैनिक वेतन के रूप में हुई थी। दो वर्ष पश्चात अपीलार्थी को अर्द्ध–स्थायी किया गया और दिनांक 02.02.1994 को हेल्पर के पद पर नियुक्त किया गया एवं 775 रुपये का वेतनमान दिया गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 02.02.1994 से पम्प चालक का वेतनमान 950/– रुपये दिया जाना चाहिए। अपीलार्थी को 10 वर्ष की सेवा के पश्चात आदेश दिनांक 19.08.2000 (अनुलग्नक–1) के द्वारा स्थाई किया गया। अपीलार्थी के पास 10वीं पास की शैक्षिक योग्यता है, दो साल की सेवा के बाद उसे दिनांक 02.02.1994 को हेल्पर के पद पर नियुक्त किया गया था, अपीलार्थी को नियुक्ति की प्रारंभिक तिथि से पंप चालक का काम सौंपा गया था, लेकिन अन्य समान व्यक्तियों को अर्ध–स्थायी स्थिति की तिथि से पंप चालक का वेतनमान दिया गया और 950/– वेतनमान दिया गया। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष दिनांक 14.07.2025 (अनुलग्नक–2) को पंप चालक के पद पर 950/– रुपये के वेतनमान के लिए अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था, जो दो वर्षों की समान सेवा के बाद प्रदान किया गया था, लेकिन प्रत्यर्थी विभाग ने आज तक अभ्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया है और न ही उन्हें समान लाभ प्रदान किए हैं। इसी प्रकार का विवाद माननीय

उच्च न्यायालय द्वारा दुर्जन सिंह एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य के मामले में एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 3040/1989 में दिनांक 13.12.1994 (अनुलग्नक–3) के आदेश द्वारा हल किया गया था, जिसे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा अनुमति दी गई थी और इसी प्रकार का अन्य मामला सोहन बनाम राज्य के मामले में एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 3648/89 में दिनांक 16.12.1994 (अनुलग्नक–4) को निर्णय दिया गया था। इसी तरह के विवाद को माननीय अधिकरण द्वारा राजेंद्र कुमार शर्मा बनाम राज्य के मामले में अपील संख्या 3413/2025 में दिनांक 21.07.2025 (अनुलग्नक–5) के आदेश के तहत तय किया गया है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि वे अपीलार्थी की नियुक्ति की प्रारंभिक तिथि 02.02.1994 से पंप चालक का वेतनमान प्रदान करें तथा सभी परिणामी लाभ प्रदान करें, क्योंकि समान स्थिति वाले व्यक्तियों को समान लाभ प्रदान किए गए थे।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 2 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य